

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)
पीठासीन अधिकारी :-विकास पंचोली(R.A.S.)

प्रकरण संख्या 12/2023

जीसीएमएस न0 2023/23

1. श्री सुरेश कुमार पुत्र रोशनलाल जी महाजन जाति जैन निवासी मिण्डाना तहसील निम्बाहेडा।

.....प्रार्थी

बनाम

1. हीरालाल पुत्र रोशनलाल जी महाजन जैन निवासी मिण्डाना तहसील निम्बाहेडा।
2. अशोक कुमार पुत्र रोशनलाल जी महाजन जैन निवासी मिण्डाना तहसील निम्बाहेडा।
3. राज० सरकार जरिये तहसीलदार सा० निम्बाहेडा राज०

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

- 1- श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव -अधिवक्ता प्रार्थी
2- पेरोंकार सरकार-स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक 06.09.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जेकाशत की आराजियात वाके मौजा मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 321 के आराजी न. 1187/899 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1188/900 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1189/898 रकबा 0.3400 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.8700 हैक्टेयर स्थित है।
2. वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काशत की चली आ रही है उक्त आराजियात प्रार्थी व विपक्षी नं० 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काशत की चली आ रही थी। प्रार्थी व विपक्षी नं० 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त आराजियात एवं विपक्षी नं० 1 व 2 के नाम दर्ज अन्य आराजियात का आपसी सहमति से बटवारा कराया गया, और आपसी सहमति बटवारे अनुसार वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी के नाम अलग खातेदारी में दर्ज हुई तथा विपक्षी नं० 1 व 2 के नाम अलग खातेदारी में दर्ज हुई तथा उक्त आराजियात का बटवारा करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी व विपक्षी नं० 1 व 2 का मौके पर काबिज अनुसार बटवारा करने के बाद राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी व विपक्षी नं० 1 व 2 के नाम अलग अलग दर्ज की गई, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से नवीन नक्शा ट्रेस में प्रार्थी के आराजियात को गलत रूप से तरमीम कर दी गई, जहां पर प्रार्थी का कब्जा है वहीं पर विपक्षी नं० 1 व 2 की आराजियात को दर्शा दिया गया तथा प्रार्थी का नवीन नक्शा ट्रेस में रकबे अनुसार तरमीम नहीं कर नक्शे को गलत रूप से तरमीम कर छोटा कर दिया है, जो राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से हुआ है, उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में अंकन प्रार्थी का मौके पर कब्जे अनुसार नहीं किया है।



उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

इसलिए उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम प्रार्थी का मौके पर काबिज अनुसार, नवीन नक्शा ट्रेस व नवीन राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर तरमीम किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। विपक्षीगणों को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षी न. 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की और निवेदन किया कि ग्राम बड़ावली में वादग्रस्त आराजियात की मौके की स्थिति निम्नानुसार है:-
1. रिकॉर्ड व नक्शे से प्रार्थना-पत्र की जांच करने पर जाहिर आया कि आराजी नम्बर 900 एवं 1188/900 का रकबा रिकॉर्ड में 0.15 हैक्टेय - 0.15 हैक्टेयर भूमि दर्ज है जबकि नक्शे में 1188/900 रकबा बरारी करने पर 0.05 हैक्टेयर आता है व आराजी नम्बर 900 रकबा बरारी पर 0.25 हैक्टेयर बनता है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दोनों आराजियात के रकबा की प्रस्तावित तरमीम सलंगन नक्शा ट्रेस अनुसार रहेगी।
2. आराजी नम्बर 901 व 1192/901 का रकबा रिकॉर्ड में क्रमशः 0.05 हैक्टेयर व 0.23 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड है जबकि बरारी करने पर आराजी नम्बर 901 का रकबा 0.11 हैक्टेयर व 1192/901 का रकबा 0.17 हैक्टेयर बनता है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दोनों आराजीयात् के रकबा की प्रस्तावित तरमीम सलंगन नक्शा ट्रेस अनुसार रहेगी।
3. आराजी नम्बर 898, 1191/898, 1189/898 का रकबा रिकॉर्ड में क्रमशः 0.18, 0.45, 0.34 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि नक्शे में 898 का रकबा बरारी करने पर 0.23 है.1191/898 का 0.54 हैक्टेयर व 1189/898 का 0.19 हैक्टेयर बनता है जिसकी प्रस्तावित तरमीम सलंगन नक्शा ट्रेस अनुसार रहेगी।
4. दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।
5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-



136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

एवं

धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्रगिति (फील्ड बुक) का संधारण (Maintenance) – सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात् भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्ड बुक रखी जाएगी वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गाँव या गाँव के भाग, भू-सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।

6. इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के तहत प्रार्थना-पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरुस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के तहत आवश्यक होने पर दुरुस्त किया जा सकता है।
7. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना तहसील निम्बाहेडा की आराजी नम्बर 898, 1191/898, 1189/898, 900,1188/900,901,1192/901 भूमि का मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा करते समय लिपिकीय त्रुटि की वजह नवीन नक्शा ट्रेस में प्रार्थी की उक्त आराजियात को गलत रूप से तरमीम कर दिया गया है जिसे दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेडा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना के आराजी नम्बर 898, 1191/898, 1189/898, 900,1188/900,901,1192/901 भूमि की तरमीम प्रस्तावित नक्शा की जावे तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त प्रस्तावित मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम की जावे। निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफतर हो।



(विकास पंचोली)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा